<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।</u>

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे०ओ० कोडः– UP 2397)

UPST010017032023

फौ०वा०सं० 43/2023

महावीर————————— बनाम—————————प्रदीप आदि

<u>दिनांक 12–11–2024</u>

पत्रावली आज तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि दिनांक 03.06.2021 को प्रातः 05.00 बजे मेरे गांव के प्रदीप पाण्डेय पुत्र त्रिभुवन नाथ पाण्डेय एवं अभय पाण्डेय उर्फ रमन पुत्र शोभनाथ पाण्डेय ने प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया तथा लाठी डण्डों से मारा पीटा, जिससे प्रार्थी को काफी चोअे आयी। हल्ला गोहार मचाने पर उपरोक्त लोग प्रार्थी को जान से मारने क धमकी देते हुए भाग गये। वादी मुकदमा महावीर द्वारा उपर्युक्त दी गयी तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना करते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित की गयी। वादी मुकदमा उपस्थित आया और उसके द्वारा अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल की गयी, जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 20.02.2023 को परिवाद के रूप में दर्ज किया।

परिवादी द्वारा धारा 200 दं० प्र० सं० के बयान में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 03.06.2021 सुबह 5 बजे की है, खेत में काम करने पे मना करने पर मुल्जिमान गाली देने लगे, गाली देने से मना करने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने लगे। मुल्जिमान प्रदीप एवं अभय ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डन्डे से मारे पीटे, घटनास्थल पर मैं और मुल्जिमान थे। घटना की सूचना थाने पर दिया था। एफ. आई.आर. दर्ज की गयी थी, किन्तु गलत विवेचना कर एफ.आर. लगा दी गयी। जिला अस्पताल सुलतानपुर में मेडिकल कराया गया था, मेडिकल कितने बजे हुआ मुझे याद नहीं है। साथ में जो आये थे बता सकते हैं। हमारे मुल्जिमानो के बीच पहले से कोई रंजिश नहीं है। मुल्जिमान खेत में मेड़ बाधने के लिए कह रहे थे। मुल्जिमान से मैंने कोई पैसा रूपया नहीं लिया है।

साक्षी पी०डब्लू०1 संतोष तिवारी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में कहा है कि मैं महावीर कोरी, व प्रदीप पाण्डेय, अभय पाण्डेय उर्फ रमन को जानता पहचानता हूँ। घटना दिनांक 03.06.2021 को समय करीब पॉच बजे सुबह की है। मैं मार्निग वाक करके आ रहा था, हल्ला गोहार सुनकर मैं मौके पर पहुॅचा तो देखा कि प्रदीप पाण्डेय व अभय कुमार पाण्डेय उर्फ रमन दोनों लाठी डण्डे से महावीर को मार रहे

थे और चमार साले कहकर मॉ बहन की भददी–भददी गालियां दे रहे थे तथा कह रहे थे कि गांव में रहना है तो सही सलामत होकर रहो। घटना स्थल पर मेरे अलावा खेतों में काम कर रहे लोग गुहार पर पहुॅचे थे, बीच बचाव किये। तब मुल्जिमान धमकी देते हुए कि अगर मेरे खेत में काम नहीं करोगे तो तुम्हे पूरे परिवार सहित मार डालूॅगा। इसी प्रकार का कथन साक्षी माता प्रसाद ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 में किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० तथा उसकी ओर से परीक्षित साक्ष्य पी०डब्लू०1 के रूप में संतोष तिवारी एवं पी0डब्ल्यू02 के रूप में माता प्रसाद पाण्डेय को धारा 202 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित कराया गया। परिवादी एवं उसके द्वारा परीक्षित साक्षियों के बयानों से एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों से स्पष्ट है कि मुल्जिमान प्रदीप पाण्डेय एवं अभय पाण्डेय उर्फ रमन द्वारा वादी मुकदमा को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए उसे लाठी डण्डा से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी भी दिया।

इस प्रकार परिवादी के परिवाद पत्र तथा बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 एवं उसके द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्ल्यू1 एवं पी0डब्ल्यू02 के बयानों, विपक्षीगण प्रदीप पाण्डेय एवं अभय पाण्डेय उर्फ रमन के द्वारा घटना के दिन, समय व स्थान पर परिवादी को जाति सूचक शब्दों से अपमनित करते हुए उसे लाठी डण्डा से मारा पीटा तथा व गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप प्रथमदृष्टया साबित होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण प्रदीप पाण्डेय एवं अभय पाण्डेय उर्फ रमन के विरूद्ध प्रथमदृष्टया धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द,ध एस०सी०/एस०टी०एक्ट के अंतर्गत तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण प्रदीप पाण्डेय एवं अभय पाण्डेय उर्फ रमन को धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द,ध एस०सी०/एस०टी०एक्ट के अंतर्गत तलब किया जाता है। परिवादी, अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु आवश्यक पैरवी अंतर्गत धारा 204 दं०प्र०सं० के अनुपालन में वांछित पैरवीं करें तथा परिवादी गवाहान सूची दाखिल करें। पत्रावली वास्ते अभियुक्तगण हाजिरी दिनांक–18.12.2024 को पेश हो।

Sd/-

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट
सुलतानपुर।